सरकार बनाम उदाराम वगैरह (गोगौर)
प्रा.पत्र U/S 131, 132 LR Act
2025/445

सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

(डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार नावां जिला डीडवाना–कुचामन

बनाम

1. उदाराम पुत्र धीसाराम
2. कैलाशराम पुत्र धीसाराम
3. परमाराम पुत्र धीसाराम
4. फुलादेवी पत्नी नरसाराम
5. माधुराम पुत्र नरसाराम
6. हणमानराम पुत्र नरसाराम
7. शाखा प्रबधंक राजस्थान गरूधरा ग्रामीण बैंक लिचाणा

उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित राजस्थान (भू.अ.)नियमावली 1957 के नियम 58,59,60,66,86

प्रार्थना पत्र संख्या : 253/2025

निर्णय दिनांक : 15-7-25

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार नावां ने राजस्व ग्राम गोगौर पटवार हल्का इन्दौखा भू.अ. क्षेत्र इन्दौखा तहसील नावां की नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 वर्ष 2018 से स्थायी खाता संख्या 254/26 खसरा नम्बर 579/313 रकबा 0.4500 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन में से कदीमी रास्ता प्रचलित होना तथा वर्तमान में उक्त रास्ता चालू होने पर संलग्न सूची प्रपत्र–अ के अनुसार चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तो का जमाबंदी एवं नक्शे में दर्शाये अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने बाबत् राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : प.3 (2)राज–6/2003/पार्ट/4 जयपुर, दिनांक 10.08.16 के संदर्भ तथा अनुपालना में कार्यालय तहसीलदार नावां के पत्रांक : भू.अ./2025/1874 दिनांक : 10.07.2025 के प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थी तहसीलदार नावां को सुना गया। तहसीलदार नावां ने निवेदन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : प 3 (2) राज–6/2003/पार्ट /04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 की मंशानुरूप एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार ऐसे चालू रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में तहसीलदार के प्रार्थना पत्र पर किया जाता है। तहसीलदार नावां ने राज्य सरकार के परिपत्र कमांक :प 3(2) राज–2003/पार्ट/04/जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा तथा निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की

उपखण्ड अधिकारी नावां

खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी। अतः निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहने से उक्त प्रस्तावित रास्ते को कदीमी से कटाण घोषित किये जाने पर असहमत खातेदार का हक प्रभावित नहीं होता है व उक्त रास्ता आवागमन हेतु सुगम जनसुविधा है। राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.16 की मंशा रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण तथा चालू स्थायी रास्तों का राजस्व अभिलेख की कार्यवाही की जाना है एवं राज्य सरकार की मंशानुरूप रास्ते संबंधी कोई समस्या लम्बित एवं शेष नहीं होना सुनिश्चित किया जाना है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तावित रास्ता मौके पर कदीमी रास्ता रास्ते के रूप में बिना किसी अवरोध के चालू होने की पुष्टि तहसीलदार नावां से प्राप्त प्रस्ताव से होती है। चूंकि उक्त कदीमी रास्ता जो कि राजस्व ग्राम गोगौर पटवार हल्का इन्दौखा भू.अ. क्षेत्र इन्दौखा तहसील नावां की नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 वर्ष 2018 से स्थायी खाता संख्या 254/26 खसरा नम्बर 579/313 रकबा 0.4500 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन में से प्रचलित है तथा वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग में आ रहा है तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकन कराने हेतु अभिशंषा तहसीलदार नावां ने प्रस्ताव में व्यक्त की।

तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तावित रास्ते के संबंध में प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है तथा अंकित किया है कि प्रस्तावित कदीमी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है जो राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प–3 (2) राज.–8/2003 /पार्ट/04/दिनांक 10.08.2016 के अनुसार उक्त रास्ता स्थायी सार्वजनिक रास्ता है तथा बाहरमासी है तथा मौसम/ऋतु के अनुसार बदलती नही है तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है तथा उक्त वर्णित परिपत्र के परिपेक्ष में कदीमी रास्ता होने से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की पात्रता रखता है प्रस्तावित रास्ता है अस्थायी एवं मौसमी प्रकृति का नहीं है। उक्त चालू स्थायी सार्वजनिक कदीमी रास्ता यदि कटाण घोषित किया जाता है तो भी संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा तथा उक्त रास्ते के संबंध में असहमत खातेदार का हक प्रभावित नहीं होता है व उक्त प्रस्तावित रास्ता आमजन के आवागमन हेतु सुगम जनसुविधा मात्र है। तहसीलदार नावां की उक्त रास्ते के संबंध में संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता मौके पर चालू व प्रचलित होने की पुष्टि तहसीलदार नावां के द्वारा जरिये पत्रांक : भू.अ./2025/1874 दिनांक : 10.07. 2025 के प्रस्तुत प्रस्ताव से होती है। अतः राजस्व ग्राम गोगौर पटवार हल्का इन्दौखा भू. अ. क्षेत्र इन्दौखा तहसील नावां की नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 वर्ष 2018 से स्थायी खाता संख्या 254/26 खसरा नम्बर 579/313 रकबा 0.4500 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन में से रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
नावां

सरकार बनाम उदाराम वगैरह (गोगोर)
प्रा.पत्र U/S 131, 132 LR Act

अतः न्यायालय प्रार्थी तहसीलदार नावां जिला डीडवाना–कुचामन से कदीमी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज किये जाने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र अधीन धारा 131, 132 आर.एल.आर.एक्ट 1956 स्वीकार योग्य समझता है।

— : : आदेश : : —

अतः तहसीलदार नावां से राजस्व ग्राम गोगौर पटवार हल्का इन्दौखा भू.अ. क्षेत्र इन्दौखा तहसील नावां की नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 वर्ष 2018 से स्थायी खाता संख्या 254/26 खसरा नम्बर 579/313 रकबा 0.4500 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन के तकमीना प्रस्ताव (प्रपत्र–अ) में दर्शाये खसरा के खातेदार/कृषको की मांग, एवं तहसीलदार नावां की अभिशषा पर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं परिपत्र क्रमांक : प.3(17) राज–6/2021/पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की मंशा के अनुसार ऐसे चालू रास्तो का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 व 136 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानुसार निम्न प्रकार रास्ता घोषित व स्वीकृत किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम राजस्व ग्राम	मौके पर रास्ता जिस खसरे में स्थित है, का विवरण			मौका अनुसार प्रस्तावित रास्ते का विवरण			प्रस्तावित रास्ता खातेदारी/ राजकीय भूमि में स्थित है।	मौके पर कायम रास्ता की स्थिति
		खसरा नं.	रकबा (हैक्टे.)	किस्म भूमि	लम्बाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	रकबा (हैक्ट.)		
1	गोगौर	579/313	0.4500	गैर मुमकिन	–	05	0.0014	खातेदारी	वर्तमान में रास्ता प्रचलित है।

उक्त घोषित रास्ते का किस्म गैर मुमकिन रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में दर्ज रहेगा तथा राजस्व ग्राम गोगौर पटवार हल्का इन्दौखा भू.अ. क्षेत्र इन्दौखा तहसील नावां की नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 वर्ष 2018 से स्थायी खाता संख्या 254/26 खसरा नम्बर 579/313 रकबा 0.4500 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन भूमि के हितबद्ध व्यक्ति को पाबंद किया जाता है कि उक्त रास्ता सुखाचार के तहत चालू रखे। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा।

तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत तकमीना प्रस्ताव (प्रपत्र–अ) व नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा तथा बैंक अथवा वित्तीय संस्था के ऋण इत्यादि को अंकन यथावत् रहेगा। तद्नुसार तहसीलदार नावां राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाये। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15/7/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां

राजस्थान सरकार **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) दिनांक : 30/06/2025 03:30:02 PM

जिला : डीडवाना कुचामन तहसील : नावां भू. अ. नि. क्षेत्र : इन्दौखा

पटवारी हल्का : इन्दौखा ग्राम : गोगौर

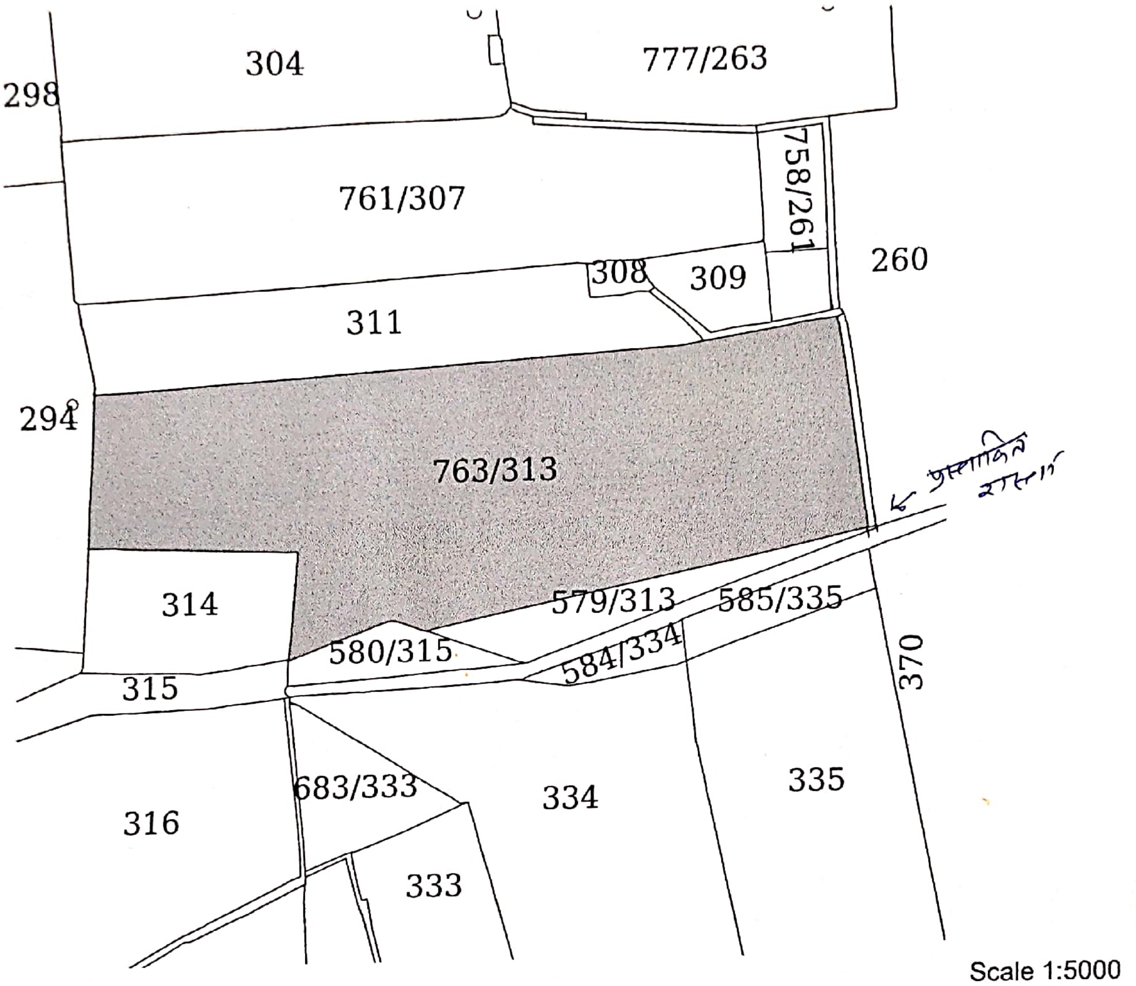

खसरा संख्या :763/313 क्षेत्रफल : 7.4365 Hectare खाता संख्या : 254पुराना खाता संख्या :26

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: चाही 2 [6.2200], जाव 2 [1.2165]

1.) उदाराम पुत्र घीसाराम हिस्सा- 1/6 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा लिचाणा
2.) कैलाशराम पुत्र घीसाराम हिस्सा- 1/6 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा लिचाणा
3.) परमाराम पुत्र घीसाराम हिस्सा- 1/6 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा लिचाणा
4.) फुलादेवी पत्नि नरसाराम हिस्सा- 1/6 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा लिचाणा
5.) माधुराम पुत्र नरसाराम हिस्सा- 1/6 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा लिचाणा
6.) हणमानराम पुत्र नरसाराम हिस्सा- 1/6 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा लिचाणा

R-35 S.No 67 30/06/25

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

अंकित कुमार शर्मा
पटवारी (भू.अ.)
प.म. इन्दौखा
तहसील नावां

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।